A7

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्याः– 141/2022
अनवर हुसैन उर्फ अनवर काजी पुत्र श्री गुलाब स्याह, जाति मुसलमान काजी, निवासी देरवाला, तहसील व जिला झुंझुनूं।

–– अपीलान्ट्स

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।

–– रेस्पोडेन्ट्स

– – –

अपील विरूद्ध आदेश 17.01.1988 बाबत नामान्तरकरण संख्या 381 बअदालत तहसीलदार झुंझुनूं वाके ग्राम देरवाला तहसील व जिला झुंझुनूं।

– – –

उपस्थितः–

1. श्री सुरेन्द्र फोगाट, अभिभाषक– अपीलान्ट की ओर से उपस्थित।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 10.10.2022

उक्त विषयक अपील मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 के विद्वान तहसीलदार झुंझुनूं के नामान्तरकरण संख्या 381 दिनांक 17.01.1988 भूमि वाके ग्राम देरवाला के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गयी। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपील अपीलान्ट निम्न प्रकार पेश है कि अदालत मातहत का आदेश नामान्तरकरण विरूद्ध कानून, न्याय, व पत्रावली है। वाके ग्राम देरवाला तहसील व जिला झुंझूनूं में भूमि ख0न0 389/1 व 389/2 स्थित है जिसमे दवारका प्रसाद पुत्र गोविन्दराम, जाति महाजन, निवासी देरवाला, तहसील झुंझुनूं को 1/3 हिस्सा था जिसका बेचान जरिये विकय पत्र दिनांक 20.04.85 को अपीलान्ट को किया गया था जिसका प्रतिफल राशि उक्त खातेदार को अदा कर उसका 1/3 हिस्सा जरिये विकय पत्र अपीलान्ट ने कय कर लिया था। अपीलान्ट द्वारा तस्दीक विकय पत्र के आधार पर अदालत मातहत में नामान्तरकरण के लिए आवेदन किया। जिस पर अदालत मातहत ने विकय पत्र में दर्ज अपीलान्ट के नाम का सही रूप से अवलोकन नही कर इन्तकाल नं0 381 अनवार हुसैन पुत्र गुलाब स्याह हिस्सा 1/3 जाति फकीर सा किठाना तहसील चिडावा खातेदार दर्ज कर दिया जबकि विकय पत्र में दर्ज नाम का सही अवलोकन नही कर नामान्तरण दर्ज किया गया है। अपीलान्ट द्वारा विकय पत्र में अपना नाम अनवार हुसैन पुत्र गुलाब स्याह, जाति काजी, निवासी देरवाला, तहसील व जिला झुंझुनूं दर्ज करवाया था जो अदालत के समक्ष होते हुए भी सा किठाना तहसील चिडावा खातेदार दर्ज किया गया है। अन्य पक्षकारान/सहखातेदारान को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नही है। क्योंकि उनका हित प्रभावित नहीं हो रहा है। अतः अपीलान्ट की ओर से अपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का आदेश बाबत नामान्तरण संख्या 381 वाके ग्राम देरवाला दिनांकित 17.01.1988 को निरस्त किया जाकर अदालत मातहत को आदेशित किया जाकर पुनः सही विक्रय पत्र में दर्ज नाम के अनुसार नामान्तरण दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.01 12:41:49 IST
Reason: SelfAttested

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम देरवाला तहसील व जिला झुंझुनूं में भूमि ख0न0 389/1 व 389/2 स्थित है जिसमे दवारका प्रसाद पुत्र गोविन्दराम, जाति महाजन, निवासी देरवाला, तहसील झुंझुनूं को 1/3 हिस्सा था जिसका बेचान जरिये विकय पत्र दिनांक 20.04.85 को अपीलान्ट को किया गया था जिसका प्रतिफल राशि उक्त खातेदार को अदा कर उसका

1/3 हिस्सा जरिये विक्रय पत्र अपीलान्ट ने क्रय कर लिया था। अपीलान्ट द्वारा तस्दीक विक्रय पत्र के आधार पर अदालत मातहत में नामान्तरकरण के लिए आवेदन किया। जिस पर अदालत मातहत ने विक्रय पत्र में दर्ज अपीलान्ट के नाम का सही रूप से अवलोकन नही कर इन्तकाल नं0 381 अनवार हुसैन पुत्र गुलाब स्याह हिस्सा 1/3 जाति फकीर सा किठाना तहसील चिडावा खातेदार दर्ज कर दिया जबकि विक्रय पत्र में दर्ज नाम का सही अवलोकन नही कर नामान्तरण दर्ज किया गया है। अपीलान्ट द्वारा विक्रय पत्र में अपना नाम अनवार हुसैन पुत्र गुलाब स्याह, जाति काजी, निवासी देरवाला, तहसील व जिला झुंझुनूं दर्ज करवाया था जो अदालत के समक्ष होते हुए भी सा किठाना तहसील चिडावा खातेदार दर्ज किया गया है। अन्य पक्षकारान/सहखातेदारान को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नही है क्योंकि उनका हित प्रभावित नही हो रहा है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाकर अदालत मातहत का आदेश बाबत नामान्तरण संख्या 381 वाके ग्राम देरवाला दिनांकित 17.01.1988 को निरस्त किया जाकर अदालत मातहत को आदेशित किया जाकर पुनः सही जांच कर विक्रय पत्र में दर्ज नाम के अनुसार नामान्तरण दर्ज किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस के दौरान वकील अपीलान्ट के कथनो का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम देरवाला के कम मे भरा गया नामान्तरकरण संख्या 381 दिनांकित 17.01.1988 का नियमानुसार नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है। अपीलान्ट ने यह अपील 34 साल बाद पेश की है जो अन्दर मियाद नही है। अपीलान्ट ने अपील मेमो मे भी अपील देरी से पेश करने का युक्तियुक्त कारण नही बताया है। अतः अपील अपीलान्ट मियाद के बिन्दू पर ही निरस्त फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अपील मेमो एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस से साफ जाहिर है कि नामान्तरकरण संख्या 381 दिनांक 17.01.1988 वाके ग्राम देरवाला के कम मे अपीलान्ट अपील देरी से पेश करने का युक्तियुक्त कारण नही बता पाये है। अपीलान्ट ने यह अपील 34 वर्ष बाद पेश की है जो अन्दर मियाद नही है। अतः मियाद के बिन्दू पर अपीलान्ट की यह अपील खारिज की जाती है। अदालत मातहत का रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 10.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.01 12:41:49 IST
Reason: SelfAttested